बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र0–06/विविध–32/2011 – 1132   खाद्य, पटना/दिनांक– 06.03.18

प्रेषक,

पंकज कुमार
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी,

विषय :– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना –17408 दिनांक 30.12.2016 एवं 11960 दिनांक 15.09.2017 तथा विभागीय पत्रांक – 269, दिनांक 24.01.2017, 3682 दिनांक 28.07.2017, 4957 दिनांक 03.10.2017, 5827 दिनांक 17.11.2017, 6476 दिनांक 20.12.2017 एवं 676 दिनांक– 08.02.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल तीन नई सेवाओं यथा नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/नाम जोड़ना/नाम हटाना) एवं राशन कार्ड का प्रत्यर्पन/रद्दीकरण के लिए उपर्युक्त वर्णित प्रासंगिक पत्रों के द्वारा समय–समय पर विस्तृत दिशा–निदेश दिया गया है ।

उल्लेखनीय है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016 के भाग–3 की कंडिका–21(i)(ii) में वर्णित है कि " अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अधिन पात्र गृहस्थियों की सूची तैयार करेगे तथा राज्य सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में राशन कार्ड निर्गत करने या राशन कार्ड में उपांतरण करने के लिए आवेदन प्राप्त करने, रजिस्ट्रीकरण करने, अभिस्वीकृति देने एवं प्रसंस्करण करने के लिए प्राधिकृत होंगे एवं अपने क्षेत्रान्तर्गत प्राप्त आवेदनों को आवश्यक जाँच और सत्यापन के पश्चात् आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर राशन कार्ड जारी करेंगे । " परन्तु सभी जिलों के प्रतिवेदन से यह परिलक्षित हो रहा है कि अबतक सभी जिलों द्वारा मात्र 33764 नये राशन कार्ड ही निर्गत किये गये है जो कि अत्यंत क्षोभ का विषय है । उल्लेखनीय है कि पात्र लाभुकों को जांचोपरांत लोक निर्दिष्ट लोक सेवक (अनुमंडल पदाधिकारी) के द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत RTPS केन्द्रों पर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन एवं नया राशन कार्ड निर्गत करना है परन्तु उक्त कार्य में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा रूचि नहीं लिये जाने के कारण पात्र लाभुकों को ससमय राशन कार्ड निर्गत नहीं किया जा पा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीन सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अविलंब बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द किये जाने हेतु लंबित आवेदनों का

D:\Year-2017\SECTION-06\Vividh Avi.doc

विधिवत निष्पादित करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय। साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

6/3/2018

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र0–06/विविध–32/2011 1132 खाद्य, पटना/दिनांक– 06.03.18

प्रतिलिपि – सभी उप निदेशक, खाद्य/अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6/3/2018

सरकार के सचिव ।